न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री विजेन्द्रसिंह, **R.A.S.**

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	आदेश तिथि
02 / 2017	इस्तगासा 145,145 CRPC	05.07.2017	30.04.2025

सरकार बनाम पार्टी संख्या--1 कैलाश चन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 23, जहाज कोठी के पास, कस्बा चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू

पार्टी संख्या--2 – 1. विपुल सिगंतिया पुत्र श्री सुशील कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 22 कस्बा चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145, 146 सी.आर.पी.सी.

उपस्थित --1. अधिवक्ता श्री हीरालाल पार्टी सं. 1
2. अधिवक्ता श्री अभिषेट टावरी पार्टी सं. 2

निर्णय

थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चूरू की ओर से इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145, 146 दण्ड प्रकिया संहिता का मय मौका नक्शा बाबत चूरू के वार्ड नं. 23 में स्थित विवादित भूखण्ड 825 दरगज के कब्जा को लेकर पक्षकारान में कभी भी झगड़ा व खून खराबा होकर शान्ति व्यवस्था भंग होने बाबत पेश किया था जिस पर न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा व जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्राईमाफेसाई रूप से शान्ति व्यवस्था भंग होना प्रतीत होने पर इस्तगासा के मौका नक्शा में दर्शायी गयी भूमि को कुर्क कर थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चूरू को रिसीवर नियुक्त कर मौके पर जाकर उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर कुर्की अधिपत्र को पृष्ठांकन से प्रमाणित करते हुए पालना रिपोर्ट पेश करने एवं रिसीवर के समस्त कार्य अंजाम देने का आदेश पारित किया गया तथा इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 05.07.2017 को प्रारम्भिक आदेश जारी कर दोनों पक्षकारान से अपने--अपने कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य सबूत पेश करने का नोटिस दिया गया जिसकी अनुपालना में पार्टी सं. 1 व पार्टी सं. 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में पेश हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा गया। जवाब प्राप्त होने पर पत्रावली काफी समय तक साक्ष्य में नियत रही । पार्टी सं. 1 की गोपाल शर्मा ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये । तत् पश्चत् दिनांक 25.09.2024 को दोनों तरफ से पार्टीयों ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया।

दोनों पक्षों की ओर पेश राजीनामा में अंकित किया कि वादगत भूखण्ड के संबंध में दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है तथा मौके पर पक्षकारान के मध्य वादगत भूखण्ड अथवा उसके कब्जे बाबत अब कोई विवाद शेष नहीं है। पार्टी संख्या 01 कैलाश इस संपति बाबत पार्टी संख्या 02 विपुल के हक के विक्रय पत्र स्वीकार करता है तथा इस वादगत भूखण्ड पर विपुलसिंगतिया के कब्जे बाबत विवाद नहीं करता है। वादगत भूखण्ड का मालिक विपुलसिंगतिया होने के कारण वादगत भूखण्ड का मालिक विपुल सिंगतिया होने के कारण बाबतग भूचाण्ड का कब्जा विपुल सिंगतिया का होना मानता है एवं इस प्रकरण में [illegible] कार्यवाही करना नहीं चाहता है। पार्टी संख्या 01 के मकान को छोड़ [illegible] सम्पति का कब्जा पार्टी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सख्या 02 विपुल सिंगतिया संभला दिया जाता है तो पार्टी संख्या 01 कैलाश को किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है।

यह कि वादगत भूखण्ड का कब्जा पार्टी संख्या 02 विपुल सिगतिया को प्रदान कर दिया जाता है तो पार्टी संख्या 01 को कोई आपति नहीं है एवं भविष्य में पार्टी संख्या 01 कैलाश अथवा उसके वारिसान द्वारा वादगत भूखण्ड बाबत पार्टी संख्या 02 विपुल के स्वमित्व अथवा कब्जे बाबत कोई विवाद नहीं किया गया जावेगा।

अतः पक्षकारान की ओर से प्रार्थना–पत्र/राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादगत भूखण्ड का कब्जा पार्टी संख्या 02 विपुल सिगतिया को संभला दिया जावे एवं वादगत भूखण्ड को कुर्की व रिसीवरी से बागुजार किया जाने का आदेश प्रदान करें।

जिस पर थानाधिकारी पुलिसथाना कोतवाली से पत्रांक 270 दिनांक 11.12.2024 के जरिये रिपोर्ट मगंवाई गई।

थानाधिकारी द्वारा जांच श्री जगदीश प्रसाद एचसी से करवाई एचसी ने दोनो पक्षकारान श्री कैलाश कुमार एवं विपुल सिंगतिया से जांच कर ब्यान लिये गये एवं दोना पक्षकारान द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड बाबत आपस में राजीनामा होने बाबत एवं किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं भूखण्ड बाबत आपस में राजीनामा होने बाबत एवं किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करवाने हेतु पेश किया जांच के अनुसा उक्त भूखण्ड को लेकर उक्त दो पक्षकारों के अलावा किसी अन्य पक्षकार के साथ कोई विवाद नहीं होना बताया। उक्त दोनो पक्षकारान का भी आपस में समझौता होना पाया गया। समस्त जांच से मामला इस प्रकार है कि प्रकरण हाजा में श्री विपुल सिंगतिया द्वारा क्रय शुदा भूखण्ड पर कैलाश कुमार अपने परिवार के लोगो का होने के कारण अपने पशु वगैरह बांधता था। क्रेता विपुल सिगतिया द्वारा क्रय कर प्लॉट खाली करने बाबत कहने पर खाली करने से इन्कार कर दिया जिस कारण दोनों पक्षों में आपस में भूखण्ड के कब्जा को लेकर विवाद हो गया। उक्त भूखण्ड बाबत अब दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। कब्जाधारक कैलाश कुमार भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड मालिक विपुल कुमार सिंगतिया को देने पर सहमत है। जिस बाबत दोनों पक्षों ने समझौता होने बाबत एवं आगे विवाद नहीं होने बाबत एक सामूहिक प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। समस्त जांच से प्लॉट पर दोनो पक्षों में वर्तमान में कोई विवाद नहीं है। दोनों पक्ष ही प्लॉट को कुर्की मुक्त करवाने बाबत सहमत है तथा आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहते है।

अतः जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि उक्त विवादित भूखण्ड को कुर्की मुक्त किया जावे तो किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है।

राजीनामा पेश होने पर राजीनामा दोनों पार्टियों को व उनके अधिवक्ताओं को पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन व समझकर दोनों पार्टियों ने सही होना बताया जिस पर पार्टी सं. 1 की ओर से कैलाश चन्द्र ने हस्ताक्षर किये जिसकी पहचान अधिवक्ता हिरालाल ने की व पार्टी सं. 2 की ओर से विपुल सिंगतिया ने हस्ताक्षर किये जिसकी पहचान अधिवक्ता अभिषेक टावरी ने की। दोनों पार्टियों द्वारा राजीनामा सही होने पर तस्दीक किया गया।

रिपोर्ट थानाधिकारी व राजीनामा को शामिल पत्राव[illegible]कर पत्रावली पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जांच रिपोर्ट थानाधि[illegible] अवलोकन एवं मनन किया गया जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रकरण की उत्पत्ति पुलिस थाना कोतवाली, चूरू द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट एवं मौके के नक्शे के आधार पर हुई, जिसमें वादगत भूखण्ड संख्या 825 दरगज, वार्ड संख्या 23, चूरू के कब्जा को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद एवं शांति भंग की आशंका व्यक्त की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों के मध्य भूमि के स्वामित्व व कब्जे को लेकर तनाव था जिससे कभी भी झगड़ा अथवा खून खराबा हो सकता था। प्राथमिक दृष्टि से न्यायालय को शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका प्रतीत हुई, अतः दिनांक 05.07.2017 को प्रारंभिक आदेश पारित कर विवादित भूमि को कुर्क किया गया तथा थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर भूमि का कब्जा अपने अधीन लेकर कुर्की अधिपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर उनके–अपने कब्जे संबंधी दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिनांक 25.09.2024 को दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय में संयुक्त राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि वादगत भूखण्ड के संबंध में दोनों पक्षों में आपसी सहमति बन चुकी है एवं अब कोई विवाद शेष नहीं है। राजीनामे में पक्ष संख्या 1 कैलाष चन्द्र ने स्वीकार किया कि वादगत भूखण्ड का वैध स्वामी विपुल सिंगतिया है, और वह स्वयं अथवा उसका कोई वारिस भविष्य में उस भूमि पर किसी प्रकार का दावा या आपत्ति नहीं करेगा। दोनों पक्षों ने न्यायालय में प्रस्तुत होकर उक्त राजीनामे की पुष्टि की तथा उसे पढ़कर सही बताया। राजीनामे की पुष्टि हेतु थानाधिकारी कोतवाली, चूरू से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जांच अधिकारी एचसी श्री जगदीश प्रसाद द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि विवादित भूखण्ड पर अब दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं है। भूखण्ड का कब्जा शांतिपूर्वक विपुल सिंगतिया को हस्तांतरित किया जाना स्वीकार किया गया है। उक्त भूखण्ड को लेकर किसी अन्य पक्ष से भी कोई विवाद नहीं पाया गया है। जांच से स्पष्ट है कि पक्ष संख्या 1 कैलाष चन्द्र अब उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रखता है।

उपर्युक्त विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचता है कि वादगत भूखण्ड को लेकर पूर्व में विवाद था जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न हुई थी। दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो चुका है और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो गया है। भूखण्ड पर वर्तमान में कोई विवाद शेष नहीं है। राजीनामा विधिसम्मत, स्वेच्छापूर्वक एवं पक्षकारों की सहमति से प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर परिवाद अन्तर्गत धारा 145, 146 सी.आर.पी.सी. का ड्रॉप करने योग्य है।

आदेश

अतः पार्टी सं. 1 व पार्टी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा को विधिसम्मत एवं स्वेच्छापूर्वक मानते हुए स्वीकार किया जाता है एवं उसे न्यायालयीन अभिलेख का भाग बनाया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक आदेश दिनांक 05.07.2017 के द्वारा चूरू के वार्ड 23 का 825 दरगज कुर्कशुदा भूखण्ड को कुर्की व रिसीवरी से मुक्त किया जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली चूरू को आदेशित किया जाता है कि उक्त कुर्कशुदा भूखण्ड का कब्जा राजीनामा के अनुसार पार्टी सं. 2 विपुल सिंगतिया को सम्भला कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:57 IST
Reason: SelfAttested

(विजेन्द्र सिंह) R.A.S.
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू